

पक्षीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
संख्या:- 102/2025
पत्र अन्तर्गत धारा :- 53 आरटीए

पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीया

बनाम्

जसवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति नाई निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

बुटा सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति नाई निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

बलजिन्द्र कौर पत्नी स्व. श्री मखन सिंह जाति नाई निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सुखपाल कौर पुत्री स्व. श्री मखन सिंह जाति नाई निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

कुलदीप सिंह पुत्र स्व. श्री मखन सिंह जाति नाई निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

दीप्ती सिंह पुत्र स्व. श्री मखन सिंह जाति नाई निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

—प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वास्ते इनफिसाल
रुबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड वकील वादी मिन जाभिन मुदई वकील प्रतिवादीगण श्री कुलदीप
उपखण्ड प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:- चक
बीजीपी जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 101/44 में वादी सुभाप पुत्र पृथ्वीराज की प.न.
204/149 मु.न. 28 किला नम्बर 7,14/0.253 है.प्र.का खाता अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से
कायम करने तथा जसवीर सिंह, बुटासिंह पि. अजायबसिंह व मखन सिंह पुत्र हजारा सिंह जाति नाई साकिन
ढावा की मौके पर कब्जा काश्त नही होने के कारण इनके नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है।
प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के जवाबदावा उक्त निर्णय का जुज रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो ऋण यथावत रहेगा।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा

शहर फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 1.4.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया